

प्रस्तुति सं. 49ख

[धारा 203क और नियम 114क देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 203क के अधीन कर कटौती खाता संख्यांक और कर संग्रहण खाता संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन का प्रस्तुति

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी (टी डी एस/टी सी एस),

निर्धारण अधिकारी कोड (टी डी एस/टी सी एस)	.....
क्षेत्र कोड	.....
ए.ओ. टाइप	.....
रेज कोड	.....
ए.ओ. संख्यांक	.....

महोदय,

मैं/हम\* आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17 के अनुसार शीर्षक ख - “स्रोत पर कटौती/खख” स्रोत पर संग्रहण\* के अधीन कर की कटौती करने/संग्रहण करने की कटौती और कर का संग्रहण करने या कर के दायित्वधीन हूँ/हैं;

मुझे/हमें\* कोई कर कटौती खाता संख्यांक\*/कर संग्रहण खाता संख्यांक या कर कटौती खाता संख्यांक या कर संग्रहण खाता संख्यांक आवंटित नहीं किया गया है:

मैं/हम\* नीचे आवश्यक विशिष्टियां दे रहा हूँ/रहे हैं\*;

(कृपया भरने से पहले टिप्पण देख लें)

1. नाम (स्तंभ-“क” से “ज” में जो भी लागू हो, उनमें से केवल एक भरें)

क. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार :

उपयुक्त प्रविष्टि पर सही निशान लगाएं

केन्द्रीय सरकार .....

राज्य सरकार .....

कार्यालय का नाम

संगठन का नाम

स्थानीय प्राधिकारी (केन्द्रीय सरकार) .....

स्थानीय प्राधिकारी (राज्य सरकार) .....

.....

.....

विभाग का नाम

मंत्रालय का नाम

संदाय करने/\*कर संग्रहण करने के लिए

जिम्मेदार व्यक्ति का पदनाम

ख. कानूनी/शासी निकाय :

उपयुक्त प्रविष्टि पर सही निशान लगाएं

कानूनी निकाय .....  
.....

शासी विकास .....

कार्यालय का नाम

संगठन का नाम

संदाय करने/\*कर संग्रहण करने के लिए

जिम्मेदार व्यक्ति का पदनाम

ग. कंपनी : (टिप्पण (1) देखिए)

उपयुक्त प्रविष्टि पर सही का निशान लगाएं

केंद्रीय सरकार की कंपनी/किसी केंद्रीय अधिनियम  
के अधीन स्थापित कंपनी .....

अन्य कंपनी .....

नाम (मैसर्स) (सही का निशान लगाएं, यदि लागू होता हो) .....

कंपनी का नाम

संदाय करने/\*कर संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पदनाम

घ. किसी कंपनी की शाखा/प्रभाग :

उपयुक्त प्रविष्टि पर सही का निशान लगाएं

केंद्रीय सरकार की कंपनी/किसी केंद्रीय अधिनियम  
द्वारा स्थापित कंपनी .....

अन्य कंपनी .....

नाम (मैसर्स) (सही का निशान लगाएं, यदि लागू होता हो) .....

कंपनी का नाम

राज्य सरकार की कंपनी/किसी राज्य अधिनियम  
के अधीन स्थापित कंपनी .....

राज्य सरकार की कंपनी/किसी राज्य अधिनियम  
द्वारा स्थापित कंपनी .....

.....

प्रभाग का नाम

शाखा का नाम/अवस्थिति

संदाय करने/\*कर संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार

प्रधान अधिकारी या किसी अधिकारी का पदनाम

इ. व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुंब

(कती) : (टिप्पण 2 देखिए)

उपयुक्त प्रविष्टि पर सही का निशान लगाएं

व्यष्टि .....

.....  
.....  
.....

हिन्दू अविभक्त कुटुंब .....

नाम (व्यष्टि के लिए उपयुक्त प्रविष्टि पर सही का निशान लगाएं)

श्री .....

श्रीमती .....

कुमारी .....

आँतिम नाम/उपनाम

प्रथम नाम

मध्य नाम

.....  
.....  
.....

इ. व्यष्टि कारबार (एकमात्र स्वतंत्रारी

समुदाय)/हिन्दू अविभक्त कुटुंब (कती) की शाखा

उपयुक्त प्रविष्टि पर सही का निशान लगाएं

व्यष्टि कारबार की शाखा .....

हिन्दू अविभक्त कुटुंब की शाखा .....

व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुंब (कती)

नाम (व्यष्टि के लिए उपयुक्त प्रविष्टि पर सही का निशान लगाएं)

श्री .....

श्रीमती .....

कुमारी .....

आँतिम नाम/उपनाम

प्रथम नाम

मध्य नाम

शाखा का नाम/अवस्थिति

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

छ. फर्म/व्यक्तियों का संगम/व्यक्तियों का संगम (न्यास)/

व्यष्टियों का निकाय/कृत्रिम विधिक व्यक्ति (टिप्पण 3 देखिए)

नाम

<p>ज. फर्म/व्यक्तियों के संगम/व्यक्तियों के संगम (न्यास)/व्यष्टियों के निकाय/कृत्रिम विधिक व्यक्ति की शाखा :</p> <p>फर्म/व्यक्तियों के संगम/व्यक्ति के संगम (न्यास) व्यष्टियों के निकाय/कृत्रिम विधिक व्यक्ति का नाम शाखा का नाम/अवस्थिति</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>2.</b> पता</p> <p>फ्लैट/डोर/ब्लॉक सं.</p> <p>परिसर/भवन/ग्राम का नाम</p> <p>सड़क/गली/पथ/डाकघर</p> <p>क्षेत्र/परिक्षेत्र/तालुक/उपप्रभाग</p> <p>कस्बा/नगर/जिला</p> <p>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र</p> <p>पिनकोड अवश्य लिखें</p> <p>टेलीफोन सं.</p> <p>ई.मेल आई.डी.</p> <p>(क) .....</p> <p>(ख) .....</p>	
<p>एस टी डी कोड .....</p> <p>टेलीफोन सं.....</p>	
<p>भारतीय .....</p> <p>विदेशी .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

हस्ताक्षर (आवेदक)

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक (पैन)” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

## सत्यापन

मैं/हम\* ..... में ..... की अपनी/हमारी हैसियत के रूप में इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जो ऊपर कहा गया है वह मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आज तारीख ..... मास ..... वर्ष ..... आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

### टिप्पण :

1. यह स्तंभ तब लागू होता है जब संपूर्ण कंपनी के लिए एक टैन के लिए आवेदन किया जाता है। यदि विभिन्न प्रभागों/शाखाओं के लिए पृथक टैन के लिए आवेदन किया जाता है तो (घ) में ब्यौरे दें।
2. व्यष्टि कारबार/हिन्दू अविभक्त कुटुब की शाखा के लिए, ब्यौरे (च) में दें।
3. फर्म/व्यक्ति संगम/व्यक्ति संगम (न्यास)/व्यष्टि निकाय/कृतिम विधिक व्यक्ति को शाखा के लिए ब्यौरे (ज) में भरें।
4. \*जो लागू न होता हो, उसे काट दें।